भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3814

दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारक) अधिनियम में संशोधन

†3814. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारक) अधिनियम में संशोधन पर विचार किया है जो एक अकेले आतंकवादी को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में शामिल करने की अनुमति देता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार एनआईए अधिनियम में संशोधन करने का है;
(घ) यदि हां, तो सरकार का यह कदम देश में आतंकवाद को किस-सीमा तक रोक पाएगा; और
(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन अधिनियमों के अंतर्गत निर्दोष व्यक्तियों का शोषण न किया जाए, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन से संबंधित प्रस्तावों वाला विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019 लोक सभा में दिनांक 08 जुलाई, 2019 को पेश किया गया है तथा इस पर विचार करने और इसे पारित किये जाने हेतु नोटिस भी भेज दिया गया है।

(ग) से (ङ.): राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 में संशोधन से संबंधित प्रस्तावों वाला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 लोक सभा में दिनांक 08 जुलाई, 2019 को पेश किया गया है तथा इस पर विचार करने और इसे पारित किये जाने हेतु नोटिस भी भेज दिया गया है।

*****